537 Basauri sale 642000/- 4:29 Be 159

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

05AA 094417

Fee paid

Rs. 6420=00

+26

26000/

SALE - DEED

नाम लेख्यकारीगण पिता का नाम वो निवास स्थान आदि । (बिक्रेतागण)	श्रीमती मीरा देवी वो 2. श्रीमती कुमुद देवी दोनों के पिता स्व0 रामचरण साह, जाति- रौनियार वैश्य, पेशा- गृहिणी, साकिनान- थाना रोड दुमका, थाना - दुमका टाउन सबडिवीजन वो निबंधन कार्यालय दुमका, जिला दुमका, भारतीय नागरिक।
नाम लेख्यधारिणी पति का नाम वो निवास स्थान आदि। (क्रेता)	श्रीमती रेणु देवी पति श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, जाति- रौनियार वैश्य, पेशा- गृहिणी, साकिन - बांधपाड़ा दुमका, थाना - दुमका टाउन, सबडिवीजन वो निबंधन कार्यालय दुमका जिला दुमका, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।
लेख्य प्रकार :-	बिक्रय-पत्र (Sale - Deed)
संम्पति का मूल्य :-	मो0 6,42,000/- (छः लाख बियालिस हजार) रुपये मात्र, जिसमें जमीन का मूल्य मो0 5,15,000/- रुपये तथा पुरान मकान का दो कमरा एवं बरामदा का मूल्य मो0 1,27,000/- रुपये।

Mira Devi 19/5/10

Kumud Devi 19-5-10

गवाह Radhe Shyam Sah S/o Late Jogdev Pd. Sah vill- Rasikpur 19/5/10

गवाह Laxmi Bhagat Laxmi Bhagat Rasikpur Road Dumka

26000/-

छबीलकुमार आर्य
रेणु देवी
प्रदीप कुमार गुप्ता
दुमका टाउन दुमका (झारखण्ड)

विक्रय पत्र

10000x2 = 20000.00
5000x1 = 5000.00
1000x1 = 1000.00
26000.00

दुमका कोषागार
10 MAY

Stamp Clerk
Dumka Treasury

मीरा देवी
स्व० राम परण प्रसाद
थाना रोड दुमका
दुमका टाउन
10-1
19/5/10

दुमका

Mira Devi
19/5/10

10000 रु. Rs 10000

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. दस हजार रुपये

Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 094418

(2)

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, जिसे विक्रय करते हैं।

तफसील हक बसौड़ी मकान पोख्ता जो 300 वर्गफीट पर निर्मित है वो करीब 50 वर्षों पुराना है वो परती सहन जमीन मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि अन्दर मौजा दुमका टाउन नं0 - 07, थाना दुमका टाउन, सबडिविजन वो रजिस्ट्री ऑफिस दुमका, जिला दुमका तौजी नं0 6, बसौड़ी का जमाबन्दी नम्बर 17/5 दुमका नगरपालिका वार्ड नं0 मौजूदा 14, हो0 नं0 66/67 का अंश, यह सम्पति अन्य सड़क पर है तथा आवासीय है, जिसका मानचित्र दस्तावेज में संलग्न है जिसमें बिक्रीत सम्पत्ति को लाल रंग से दर्शाया गया है जिसका दाग नं0, चौहद्दी, निम्न प्रकार है :-

दाग नम्बर	चौहद्दी	किस्म बी.क.धु.
1036 (एक हजार छत्तीश) का अंश ।	उत्तर - स्व0 लक्ष्मण साह का मकान । दक्षिण - प्रताप साह लेन । पुरब - तीन फीट गली बाद अनुप केशरी बगैरह । पश्चिम - भगवान साह का परती जमीन बाद मकान ।	इसी चौहद्दी के अन्दर बसौड़ी स्वत्व की परती जमीन सह पुराना मकान मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि रकवा - मवाजी - 00-02-11½ 00 - 4.29 डिसमिल

दो कट्ठा साढ़े ग्यारह धूर मात्र । सलाना खजाना मोताबिक रसीदी ।

विदित हो कि उपरोक्त सम्पति को बाबु रामचरण साह के स्वर्गीय दादा बाबु प्रताप साह ने अपने जीवनकाल में बजरिये बिक्रय पत्र संख्या 634 जिल्द सं0 07 पृष्ठ सं0 180 से 181 पुस्तक सं0 1 सन् 1918 ई0 जिसकी रजिस्ट्री दुमका निबंधन कार्यालय में हुई है, के द्वारा हाड़ी साह से क्रय कर ताजिंदगी बिना किसी बिघ्न-बाधा के भोग दखल करते रहे । इनके स्वर्गवास के बाद बाबु रामचरण साह ने अपने पैतृक एवं मौरूसी सम्पति

Mira Devi 19/5/10

Kumud Devi 19-5-10

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(4)

इंद्रियों की स्वस्थ दशाओं में बिना कोई दबाव वो बहकाव प्रसन्नचित एवं स्वच्छन्द वातावरण में क्रेता से उपरोक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण तय मूल्य मो0 6,42,000/- (छः लाख बियालिस हजार) रुपये नगद एकमुस्त लेकर वो प्राप्त कर खाना नम्बर पाँच की बर्णित सम्पत्ति को क्रेता के हाथ बेचा वो बैलाकलामी किया तथा बिक्रीत सम्पति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त किया कुछ भी बांकी नहीं रहा। भविष्य में मूल्य न प्राप्त करने का दावा अमान्य वो वातिल होगा। यह कि लेख्यकारिणीगण द्वारा मूल्य का सम्पूर्ण रुपया आप क्रेता से प्राप्त कर उक्त सम्पति को आप क्रेता के पक्ष में बिक्रय कर दिया तथा लेख्यकारिणींगण ने उक्त सम्पति का स्वामित्व अधिकार वो कब्जा वजिनसहुँ (Exactly) आज की तारीख से अपने तुल्य अधिकार करा दिया, यानि दखल दे दिया। इस सम्पति पर लेख्यकारिणीगण को जो स्वामित्व वो अधिकार प्राप्त है वो जो भविष्य में प्राप्त होता वो सभी स्वामित्व एवं अधिकार वजिनसहुँ आप क्रेता को आज की तिथि से प्राप्त हो गया।

यह सम्पत्ति हरेक वारदेन से पाक साफ है यानि हर तरह के ऋण-भार से मुक्त है। फिर भी निकट भविष्य में उपरोक्त सम्पति पर किसी तरह का हाल या प्राचीन ऋण-भार पाया जाय, ऐसी हालत में बिक्रेतागण मय वारिसान हर्जाना आदि भुगतान करने के लिये बाध्य रहेंगे।

अब चाहिए कि क्रेता उपरोक्त सम्पत्ति को लेकर सरकारी सिरीस्ते में प्रचलित नाम कटवा कर खुद का नाम दर्ज करा लेवें वो साल-ब-साल सिरीस्ते में खजाना देकर वसूली का रसीद अपने नाम से प्राप्त किया करें वो वारिसानुक्रमेण उपरोक्त सम्पत्ति का भोग-दखल, दान-बिक्रय वो हस्तांतर अपनी इच्छानुसार जो चाहे करें, इसमें बिक्रेतागण मय वारिसान को किसी तरह की उज़ुर-आपत्ति नहीं होगी, न कभी कर सकेंगे अगर कोई आपत्ति करे

Mira Devi 19/5/10

Kumud Devi 19-5-10

या करें तो वो कुल आपत्ति उचित न्यायालय में असमान्य वो वातिल होगी।

लेख्यकारी विक्रेतागण अपनी-अपनी राजी खुशी से प्रसन्नचित स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में रहकर आप क्रेता श्रीमती रेणु देवी पति श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, से उक्त सम्पति का मूल्य का सम्पूर्ण रुपया प्राप्त कर यह बिक्रय पत्र आप क्रेता के पृक्ष में लिख दिया जो प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवे। इति आज तारीख :- 19.05.2010 ई0।

Mira Devi 19/5/10

Kumud Devi 19-5-10

(कम्प्यूटर द्वारा टाईप किया)

कातिब दस्तावेज :- जितेन्द्र कुमार सा० दुमका टाउन ... द्वारा अंकित किया हुआ दस्तावेज का मजमून तैयार किया अंकित के बाद दस्तावेज पढ़ कर लेख्यकारियों को सुना के समझा दिया।

जितेन्द्र कुमार
19/5/10

Kumud Devi
19-5-10

Renu Devi
19.5.010

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बायें हाथ का अंगुलियों का निशान मेरे द्वारा लिया गया है।

जितेन्द्र कुमार
19/5/10

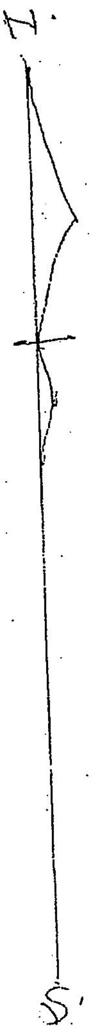

मौजा — गुमला टाउन न० 7
सर्किल — गुमला
अंचल — गुमला
स्केल — 1" = 20'

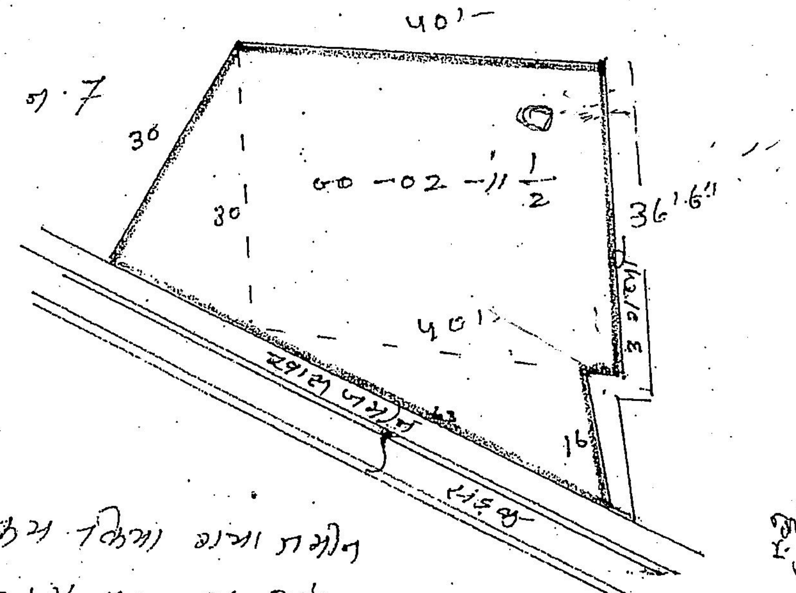

संकेत

[shaded] लाल निशान से क्रय किया जाने वाला जमीन जिसका खाता नं०   प्लॉट नं० 1036 का अंश
रकबा - 00 — 02 — 11½

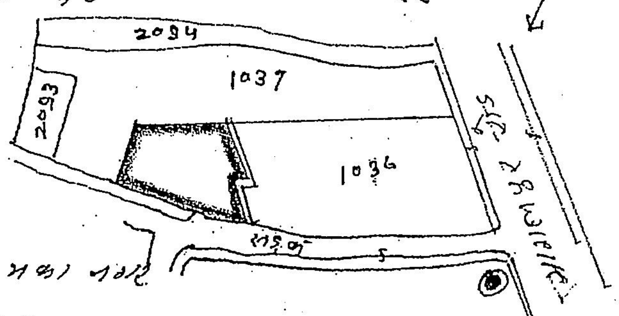

क्रेता :— श्री मति रेणु देवी पति
— श्री प्रदीप कुमार शर्मा
ग्राम पाशा, गुमला, थाना — गुमला नगर
जिला — गुमला (झारखण्ड)

विक्रेता :— [illegible] पिता स्व० रामचरण साह
थाना — रोड गुमला, थाना — गुमला नगर जिला — गुमला (झारखण्ड)

चौहद्दी — (1) उत्तर :— लक्ष्मण साह का मकान
(2) दक्षिण :— रास्ता बाद प्रताप साह लेन
(3) पूरब :— 3" नाली बाद अनूप केशरी वगैरह
(4) पश्चिम :— भगवान साह का मकान /

ह० अमीन गुमला